(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 19 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री पुरूषोत्तम राठौर पुत्र श्री नन्द लाल राठौर उम्र 42 वर्ष जाति राठौर निवासी सुनार बाजार, मेंन मार्केट वार्ड नं. 12 अन्ता जिला बारॉ (राज.) (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स राठौर एजेन्सी सीसवाली रोड अन्ता जिला बारॉ
2. मैसर्स राठौर एजेन्सी सीसवाली रोड अन्ता जिला बारॉ (राज.)
3. श्री चन्द्रेश गर्ग पुत्र श्री भगवान लाल गर्ग निवासी शाहबाद वार्ड बारॉ 325205 (मालिक) मैसर्स जय माता दी ट्रेडिंग कम्पनी खजूरपुरा बारॉ हाल– रेल्वे नाले के पास नटराज नगर बारॉ (राज.)
4. मैसर्स जय माता दी ट्रेडिंग कम्पनी खजूरपुरा बारॉ हाल– रेल्वे नाले के पास नटराज नगर बारॉ (राज.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) / 51 एवं 52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 18.07.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.09.2022 को मैसर्स राठौर एजेन्सी सीसवाली रोड अन्ता जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री पुरूषोत्तम राठौर पुत्र श्री नन्दलाल राठौर (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.09.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक / एच / एफएसएसए / (एफ–28)नोटिफिकेशन / 2012 / 172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले [illegible] स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा [illegible] खाद्य पदार्थ लाइट फ्रेश फिट कुकिंग **मिडियम (दिव्य अमृत) 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक** की 03 [illegible] पेटी (एक मे 500 एमएल के 30 पैक) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय [illegible] एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ पदार्थ **लाइट फ्रेश फिट कुकिंग मिडियम (दिव्य अमृत) 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:39:18 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ पदार्थ **लाइट फ्रेश फिट कुकिंग मिडियम (दिव्य अमृत) 500 एम.एल. के 04 मूल गत्ते पैक** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री पुरूषोत्तम राठौर पुत्र श्री नन्दलाल राठौर (विक्रेता एवं मालिक) को 326/– रूपये (अक्षरे तीन सौ छब्बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **लाइट फ्रेश फिट कुकिंग मिडियम (दिव्य अमृत) 500 एम. एल. मूल गत्ते पैक** को चार भागों में अलग–अलग कर प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1566 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1566 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। ?

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री पुरूषोत्तम राठौर पुत्र श्री नन्दलाल राठौर (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/326 दिनांक 28.10.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1339/PHL/Kota/Act/2022/1341 दिनांक 13.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लाइट फ्रेश फिट कुकिंग मिडियम (दिव्य अमृत) 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक** धारा 3 (1)(zx) के तहत अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) एवं धारा 3(1)(zf)A(i)&C(i) के तहत मिसलीड होना के पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 09.01.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया को शामिल पत्रावली किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **लाइट फ्रेश फिट कुकिंग मिडियम (दिव्य अमृत) 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3 (1)(zx) के तहत अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) एवं धारा 3(1)(zf)A(i)&C(i) के तहत मिसलीड होना के पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:39:18 IST
Reason: SelfAttested

मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य सक्षम अधिकार द्वारा खाद्य पदार्थ लाइट फ्रेश फिट कुकिंग मिडियम (दिव्य अमृत) 500 एम. एल. मूल गत्ते को चैक करना और 4 मूल पैक नमूना जॉच हेतु लेना बताया है। नमूना लेने मे एफ.एस.एस. एक्ट के नियमों की अक्षर से पालना नही की गयी है। यह कि लाइट फ्रेश फिट कुकिंग मिडियम (दिव्य अमृत) 500 एम.एल. खाद्य पदार्थ है, जो मानकों पर पूरा खरा व उत्पादित किया गया है। यह कि नमूना लेने मे निर्धारित प्रक्रिया का पालन नही हुआ है। यह कि पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी द्वारा जारी जॉच रिपोर्ट दिनांक 13.10.2022 मे शामिल की जॉच 06.10.2022 से 13.10.2022 तक करना बतया है, परन्तु रिपोर्ट के साथ इस अवधि मे किए गए परीक्षण का नमूना प्रत्येक पृथक–पृथक तिथियों का दर्ज नही है। यह कि जिस आधार पर नमूने को सब स्टैण्डर्ड एवं मिस लीड बताया गया है, उसका कोई आधार जॉच रिपोर्ट मे दर्ज नही है। यह कि सक्षम अधिकारी की अभियोजन स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त नही की गयी है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि परिवाद निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1339/PHL/Kota/Act/2022/1341 दिनांक 13.10.2022 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी क्रम 01 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लाइट फ्रेश फिट कुकिंग मिडियम (दिव्य अमृत) 500 एम.एल. मूल गत्ते पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1339/PHL/Kota/Act/2022/1341 दिनांक 13.10.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3 (1)(zx) के तहत अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) एवं धारा 3(1)(zf)A(i)&C(i) के तहत मिसलीड होना के पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 एवं 52 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 75,000/– रूपये (अक्षरे पिचेहत्तर हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **18.07.2023** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:39:18 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)